**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 610/2026**
**[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1299/2026]**
**[CNR No. UPFZ010037042026]**

**अल्तमश** पुत्र जाकिर निवासी ग्राम कुशवाहा, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अल्तमश** की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 610/2026, मुकदमा अपराध संख्या 385/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 27.05.2026 को थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में वादी मनोज कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी कि दिनांक 22.05.2026 की सायं करीब 8.30 बजे उसका वाहन, जो आटो रिक्सा के रूप में पंजीकृत है और जिसका रजिस्टेशन संख्या UP 42 DT 8410 है, जिसे जोन 1 में 1403 कोडिंग प्राप्त है, सूर्यकुंड, दर्शन नगर से गायब हो गया। छानबीन के बाद भी नहीं मिला।

वादी मनोज कुमार की उक्त तहरीर के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण अज्ञात के विरूद्ध थाना कोतवाली अयोध्या में पंजीकृत होकर, विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 01.06.2026 निरकारपुर NB ईंट भट्टे के पास नाले के नीचे से अभियुक्तगण हैदर उर्फ हसनैन, आरिफ, अल्तमश एवं अंकित को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से प्रकरण से सम्बन्धित रिक्शे की चार बैटरी तथा चक्का बरामद हुआ। जिसके आधार पर प्रकरण में सह अभियुक्तों के साथ अभियुक्त उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। पुलिसवालों

द्वारा रंजिशन फर्जी अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत की याचना की गई है।

**6.** विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

**7.** मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अयोध्या को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**8.** अभियुक्त पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के बैट्री ई–रिक्शा को चोरी करने एवं उक्त ई–रिक्शा का सामान आवेदक एवं अन्य सह अभियुक्तों की अभिरक्षा से बरामद होने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है, आवेदक/अभियुक्त नामजद नहीं है। पुलिस द्वारा कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर उसे इस मामले में आलिप्त किये जाने का कथन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकृत है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अल्तमश** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 385/2026, धारा 303(2), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त प्रथम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

दिनांकः 18.06.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अयोध्या